जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 12.06.2024

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2546 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 2546 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत हरिहरपुर से इवेन्ट संख्या 46410 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में बाइक और ई-रिक्सा में टक्कर से मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (**रामानन्द पुत्र सागर निवासी हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को निजी वाहन की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 पेशकार भारती, आ0 शेषनाथ गौड़,हो0चा0 दिनेश चन्द।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 87 वाहनों से 1,00,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 87 वाहनों से 1,00,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत मुडाडिहा मन्दिर के पास बंधा के किनारे हुई पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म के वांछित अपराधी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक *श्री शशि शेखर सिंह* के नेतृत्व में एवं क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में अभियान के क्रम में घटना के सफल अनावरण हेतु थाना धनघटा व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 366/24 धारा 376

AB भादवि व 5/6 एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहम्मद इरशाद उर्फ नाटे पुत्र सुलेमान निवासी रानीपुर थाना धनघटा घटना जनपद संतकबीरनगर को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 366/24 धारा 376 AB भादवि व 5/6 एक्ट से संबंधित वांछित उपरोक्त घटना के समय से फरार चल रहा था जिसकी पता गिरफ्तारी का प्रयास करते हुए लगातार दबिश दिया जा रहा था कि जरिए मुखबिर जानकारी हुई कि अभियुक्त उपरोक्त थाना धनघटा अंतर्गत ककरहा बंधे के पास मौजूद है।इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक धनघटा मय फोर्स वहां पहुंचकर घेरा बंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा फायरिंग किया गया ,फायरिंग के जवाब में पुलिस द्वारा अपने बचाव में भी फायरिंग किया गया। जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी,जिसको इलाज हेतु अस्पताल पहुचाकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 9/10.06.2024 की रात्रि करीब 3 बजे भोर में मोहम्मद इरशाद उर्फ नाटे पुत्र सुलेमान निवासी रानीपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा करीब 9 वर्षीय नाबालिग का मुंह दबाकर जबरन दुष्कर्म कर दिया। उसके पश्चात वहा से भाग गया। प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 366/2024 धारा 376 AB आईपीसी व 5/6 पाक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित थी।

पुलिस मुठभेड का विवरण- विदित है कि मुकदमा उपरोक्त दिनांक 11.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा पंजीकृत कराया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 09 वर्ष के साथ अभियुक्त द्वारा 09/10.06.2024 की रात्रि में जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। मुखवीर खास की सूचना पर आज दिनांक 12.06.2024 को प्र0नि0 धनघटा मय हमराह द्वारा गिरफ्तारी हेतु पहुंचने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गयी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा की गयी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी जिसका उपचार कराये जाने के उपरान्त रिमान्ड हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो0 इरशाद उर्फ नाटे पुत्र सुलेमान उम्र करीब 30 वर्ष निवासी रानीपुर थाना धनघटा घटना जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर ,दो अदद कारतूस जिन्दा ,एक अदद कारतूस मिस फायर, सभी 315 बोर एक अदद मोबाइल रेडमी नगद रुपया 510 बरामद हुआ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.प्र0नि0 अनिल कुमार
2. उ0नि0 रामदरश यादव
3. हे0का0 आनन्द दुबे,
4. का0गुड्डू यादव,
5. का0 महेन्द्र निषाद,
6. का0रजनीश यादव